R.M.M. Law College

Amrendra Kumar Trivedi
Saharsa
Part Time Law Teacher
subject-Evide

प्रश्न-7 पूर्वतन कथन कैसे साबित किया जाए

Ans- पूर्वतन कथन था तो वह व्यक्ति साबित करे जिसने वह किया गया था या वह और उसके किए जाने के सकल उपस्थित था। यदि कथन लेखबद्ध किया गया था तो लिखित को पेश करना चाहिए और उस व्यक्ति द्वारा साबित की जानी चाहिए जिसने उसे अभिलिखित किया था।

साबित करना धारा 32 धारा 33 के अधीन साबित करना धारा 32 धारा 33 के अधीन सुसंगत होनी चाहिए खण्डन सम्पुष्टि के लिए या जिसके द्वारा किया गया था उस व्यक्ति की विश्वसनीयता को अधिक्षिप्त या पुष्टि के लिए सभी बातें साबित की जा सकेंगी यदि वह व्यक्ति साक्षी के रूप में बुलाया गया होता और व्यक्ति प्रतिपरीक्षा के लिए सत्यता होता और व्यक्ति प्रतिपरीक्षा किया होता तो साबित का प्रत्याख्यान की जा सकती।

जब कोई व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित होकर साक्ष्य देता तो जैसा कि पिछली धाराओं में अभिलिखित है उसके कथन की यथार्थता प्रतिपरीक्षा से उसके कथन की जाँच की जा सकती है और अन्य साक्ष्य की जाँच की जा सकती है या उसकी से उसका खण्डन किया जा सकता है या उसकी सम्पुष्टि की जा सकती है।

सम्पुष्टि की जा सकती है।
सम्पुष्टि ... सत्यवादिता एवं साख भी, अधि क्रोध ... अपनी सत्यवादिता

की जा सकती है। धारा 32 एवं धारा 33 उन व्यक्तियों के कथनों को साबित करने की अनुज्ञा देती है जो मर चुके हैं या किसी अन्य कारणवश न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकते। जब कोई साक्षी किसी मृत व्यक्ति के कथन को साबित करता है तो प्रश्न यह उठता है कि क्या न्यायालय केवल इस कारण कि वह व्यक्ति मर चुका है उसके कथन को यथार्थ मान ले और प्रतिपरीक्षा के बिना ही या किसी प्रकार का अधिक्षेप के बिना उस पर विश्वास कर ले प्रस्तुत धारा उक्त प्रश्न का उत्तर देती है और यह कहती है कि जब कोई ऐसा कथन जो धारा 32 या 33 के अधीन सुसंगत है साबित कर दिया जाता है,

(1) उसको सम्पुष्ट या खण्डन करने के लिए या

(2) उस व्यक्ति के जो कथन है उसकी साख का अधिक्षेप या उसको पुष्ट करके बेसिय जो सभी बातें साबित की जा सकेंगी जो तब साबित की जा सकती, यदि वह व्यक्ति स्वयं उपस्थित होकर साक्ष्य देता है; और उन बातों का प्रत्याख्यान करता जो उसे प्रति-परीक्षा में पूछाई गई होती।

केवल इस कारण कि कोई व्यक्ति मर चुका है उसके कथन को विशेष महत्व नहीं मिलता और उसकी यथार्थता की जाँच और कथन करने वाले व्यक्ति की सत्यता

की और उसके सत्यवादिता की परीक्षा उपलब्ध विधिक साधनों से की जाने के बाद ही उसका महत्व आंका जा सकता है।

स्मृति को ताजी करना – जब कोई साक्षी जब कि वह परीक्षा के अधीन हो किसी ऐसे लेख को देख कर जो कि स्वयं उसने संव्यवहार के समय जिसके सम्बन्ध में उससे प्रश्न किया जा रहा हो और न्यायालय उसे संभाव्य समझे कि वह संव्यवहार उस समय उसकी स्मृति में ताजा था अपनी स्मृति में ताजा कर सकेगा।

साक्षी अपनी स्मृति को ताजा करने के लिये दस्तावेज की प्रतिलिपि जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया हो साक्षी द्वारा उपयुक्त किया गया हो साक्षी पर पढ़ा गया हो।

स्वयं पर पढ़ा गया हो। जब कोई साक्षी अपनी स्मृति किसी दस्तावेज को देखने से ताजी कर सकता तब वह न्यायालय की अनुज्ञा से ऐसी दस्तावेज की प्रतिलिपि को देख सकेगा। जब न्यायालय समाधान किया हो तो लेखक अपनी स्मृति लेखन का देख ताजी कर सकता है।